

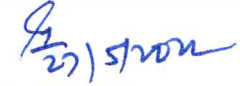
भाग— IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	सिवनी जिले में पायली ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु 4.1187 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, जबलपुर को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	--

तिथि:— 27 / 05 / 2022

स्थान:— भोपाल।



(SUNIL AGRAWAL)

Addl. P.C.C.F. (L.M.)

Madhya Pradesh, Bhopal